

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 88/2022

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

प्रवीण वगैरा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर वगैरा

किस्म मुकदमा- राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 18/12/24    | <p>प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 6 के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 45/1रकबा 6 बीधा 09 बिस्वा अर्थात 1.0441 हैक्टर भूमि गाम बोरानाडा तहसील झंवर मे ऑनलाईन जमाबन्दी मे त्रुटिवश जो अशुद्धि हुई है व प्रार्थीगण के हिस्से को कम दर्शाया गया है उसे शुद्ध करते हुए प्रार्थीगण के हिस्से का सही इन्द्राज किया जावे एव अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 का नाम जो राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे त्रुटिवश अभी भी दर्ज है उसे शुद्ध करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 का नाम विलोपित किया जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी होकर तहसीलदार झंवर से मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी की गई।</p> <p>तहसीलदार झंवर के पत्र क्रमांक/भूअ/2024/387 दिनांक 03.09.2024 के रिपोर्ट मे ग्राम बोरानाडा की वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 162 मे दर्ज खसरा नम्बर 45/1 रकबा 1.0441 हैक्टर अर्थात 06.09 बीधा बारानी प्रथम मे सयुक्त खातेदारी मे दर्ज खातेदार फतेहराज पुत्र जेटाराम 1/9 नाम बोगस दर्ज है इन तीनों खातेदारो द्वारा खसरा नम्बर 45 मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा नामा,744 के जरिये बेचान कर दिया था जिसमे कंतागणो द्वारा उक्त भूमि जेडीए मे सम्परिवर्तन करवा दी गई थी जिसका नामा संख्या 1160 है। ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 45/1 रकबा 1.0441 हैक्टर अर्थात 0.09 बीधा का राजस्व रिकार्ड एव प्रभावितो नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगणो का सही एव शुद्ध हिस्सा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 के अनुसार जमाबन्दी मे खाता एव हिस्सा शुद्ध किया जाने की अनुशषा तहसीलदार झंवर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे की गई।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,136 भूराजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि पटवारी हल्का मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 के अनुसार जमाबन्दी मे खाता एव हिस्सा शुद्ध किया जावे पटवारी मौका फर्द आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> |   |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी